भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1824
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)
<u>विदेशी कंपनियों का पंजीकरण</u>

1824. श्री एम. चन्द्राकाशीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में विदेशी कंपनियों और एक व्यक्ति कंपनियों सहित पंजीकृत नई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विदेशी कंपनियों के पंजीकरण में दर्ज की गई प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बंद कंपनियों के रूप में मानी जाने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बंद कंपनियों के पंजीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत नई कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों और विदेशी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के तहत यथापरिभाषित) की संख्या निम्नानुसार है:-

.....2/-

पंजीकृत नई कंपनियों की संख्या

वित्तीय वर्ष	एकल व्यक्ति कंपनी सहित और विदेशी कंपनियों को छोड़कर कंपनियां	एकल व्यक्ति कंपनियां	विदेशी कंपनियां
2014-15	64,395	2,223	157
2015-16	84,481	3,912	149

(ख): देश में पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या 3,439 (दिनांक 31.03.2011 के अनुसार) से बढ़कर 4,357 (दिनांक 31.03.2016 के अनुसार) हो गई है।

(ग): ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसे उल्लिखित अवधि के दौरान लुप्त कंपनियों की श्रेणी में रखा गया है।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को लुप्त होने से रोकने के कुछ उपाय हैं। यह अधिनियम अधिदेश देता है कि केवल वे व्यक्ति ही कंपनी के निदेशक बन सकते हैं जिन्हें पहचान और पते के सबूत के सत्यापन पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, कार्यरत व्यवसायिकों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते का भौतिक सत्यापन करना और कंपनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन करने पर कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना भी अपेक्षित है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं कि कंपनियों और उनके निदेशकों का पता लगाया जा सकता है।

*****